

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु 03 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष, 2025-26 में कुल राशि ₹11.46745 लाख (ग्यारह लाख छियालीस हजार सात सौ पैंतालीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, अररिया, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, अररिया, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर को वित्तीय वर्ष, 2025-26 में कुल राशि ₹11.46745 लाख (ग्यारह लाख छियालीस हजार सात सौ पैंतालीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, अररिया	3.75212
2.	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	2.50000
3.	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	5.21533
	कुल	11.46745

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹11.46745 लाख (ग्यारह लाख छियालीस हजार सात सौ पैंतालीस रुपये) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से राशि आवंटित किया जायेगा।

3. स्वीकृत कुल राशि ₹11.46745 लाख (ग्यारह लाख छियालीस हजार सात सौ पैंतालीस रुपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

4. स्वीकृत कुल राशि ₹11.46745 लाख (ग्यारह लाख छियालीस हजार सात सौ पैंतालीस रुपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के

लिए प्रभार-उपशीर्ष-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष-0001.13.
01- कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं०-48-2015001090001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

5. राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं०, तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी इस विभाग को निश्चित रूप से भेजा जाय ताकि महालेखाकार बिहार से सामंजन कराया जा सके।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब/निर्वाचन-09-01/2022 के पृष्ठ सं०-146 /टि० पर दिनांक-08.01.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-147 /टि० पर दिनांक-13.01.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/निर्वा०-09-01/2022 1131 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक-13/01/26
प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
-सह-जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वित्त (बजट शाखा), विभाग/लेखाशाखा, वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के संयुक्त सचिव।